बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 1416/13 पटना, दिनांक 8/3/13
ग्रा.वि./7(15)– SGSY –शिविर –05–06

पेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **ग्राम विकास शिविर के संबंध में ।**

प्रसंग:- ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक–10923 दिनांक–16.09.06 एवं 2477 दि0–03.03.08

महाशय,

पंचायती राज व्यवस्था में जनता की भागीदारी के लिए ग्राम सभा एक प्रमुख माध्यम है । राज्य में चल रही विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जनसाधारण को सुगमता से लाभ उपलब्ध कराने, योजनाओं के प्रसार प्रसार सुनिश्चित करने, अनुश्रवण एवं लोक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ''ग्राम विकास शिविर'' का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है । इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर से जिलों को समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं ।

अतः आम जनता को विकास योजनाओं एवं सरकार की अन्य सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सभा को ही माध्यम बनाकर ग्राम विकास शिविर स्थापित करने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश प्रसंगाधीन पत्रों द्वारा निर्गत किये गये थे । जिलों से प्राप्त सूचनायें,जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सूचनायें, भ्रमण के दौरान आम जनता, पदाधिकारियों कर्मचारियों से प्राप्त जानकारी तथा योजनाओं के अनुश्रवण से प्राप्त अनुभवों के आलोक में पूर्व में निर्गत परिपत्रों में कतिपय संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है । चूँकि ग्राम विकास शिविरों में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों पर कार्रवाई होती है इस दृष्टिकोण से सभी संबंधित विभागों के परामर्श से यह दिशा–निर्देश निर्गत किया जा रहा है :–

1. **ग्राम विकास शिविर के मुख्य उद्देश्य** :

ग्राम विकास शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को विकास योजनाओं की पूर्ण जानकारी देने तथा उनके द्वारा उठाये गये विषयों एवं समस्याओं की स्थल पर ही समन्वय कर समाधान करना है । इन शिविरों में जनता के बीच पारदर्शी तरीके से प्रखंड एवं अंचल के अलावा अन्य विभागों के कार्य स्थानीय स्तर पर निष्पादित किए जायेंगे । उदाहरण स्वरूप महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन इच्छुक अकुशल मजदूर परिवारों का निबंधन , जॉब कार्ड वितरण एव मांग सृजन, इंदिरा आवास योजना के अधीन लाभार्थियों के मकानों का निरीक्षण, आजिविका के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा, अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज व अन्य राजस्व मामलों का निष्पादन, भूमि विवादों को सुलझाने की व्यवस्था, राशन आपूर्ति का स्थानीय निरीक्षण इत्यादि के अलावे शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, जल संसाधन, लघु सिचाई, लोक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं वन, व अन्य विभागों के कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार, निरीक्षण, जन सहभागिता प्राप्त करने जैसे कार्य किये जायेंगे । शिविरों में स्वच्छता अभियान, शुद्ध पेयजल, मलेरिया, पोलियो, कालाजार, उन्मूलन पर विशेष जोर दिया जाय । जिला पदाधिकारी तथा उनके अधीनस्थ पदाधिकारीगण भी इन शिविरों का भ्रमण कर पर्यवेक्षण करेंगे । ग्राम विकास शिविर में किये गये कार्यों पर प्रत्येक माह में उच्च स्तरों को प्रतिवेदन भेजे जायेंगे ।

2.ग्राम विकास शिविर की संरचना, स्थान एवं समय :

- इस व्यवस्था के अधीन प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से राज्य भर में प्रत्येक शनिवार को 11:00 बजे से 4:00 बजे तक प्रत्येक प्रखंड में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पंचायत में ग्राम सभा बुलाकर ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया जायेगा । यदि शनिवार को राजपत्रित अवकाश हो तो यह शिविर अगले कार्य दिवस को आयोजित किया जाय ।
- जिस पंचायत में ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया जा चुका हो वहाँ एक पक्ष के अंतराल पर पडने वाले शनिवार को पुनः शिविर आयोजित किया जाय क्योंकि प्रथम शनिवार को आयोजित होने वाली शिविर में कुछ ऐसे मामले आयेंगे, जिसका निष्पादन शिविर में उसी दिन संभव नहीं हो पायेगा । ऐसी परिस्थिति में उन सभी आवेदनों को प्राप्त कर आयोजित शिविर के एक पक्ष के बाद आने वाले शनिवार को उसी स्थान पर शिविर आयोजित कर सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया जाय।
- जब सभी पंचायतों में शिविर का आयोजन हो जाय तब शिविर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जायेगा ।
- पंचायत का प्रथम शिविर यथा संभव पंचायत भवन में किया जाय । यदि वहाँ जगह कम हो तब समीपस्थ उपयुक्त सार्वजनिक स्थान पर किया जायेगा। एक पक्ष के अंतराल पर पडने वाले शनिवार को उसी स्थान पर शिविर आयोजित किया जाय । इसके बाद के चरण का शिविर किसी अन्य ग्राम में किया जाय जहॉ गरीब वर्ग, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महादलित के लोग अधिक संख्या में रहते हैं।
- सभी चयनित पंचायतों में शिविर के एक दिन पूर्व डुगडुगी पिटवाकर भी प्रचार–प्रसार किया जाय। पंचायत शिविर आयोजन की तिथि का निर्धारण इस प्रकार किया जाय कि माननीय सदस्य विधान सभा यदि चाहें तो अपने क्षेत्र में होने वाले सभी शिविर में भाग ले सकें, यथा किसी विधान सभा के सदस्य का क्षेत्र तीन प्रखण्डों में हों तो अलग–अलग तिथि मे ग्राम सभा आयोजित की जाए । जिला पदाधिकारी के द्वारा शिविर का रोस्टर तैयार कर सभी संबंधित सांसद/स0वि0स0/स0वि0प0/अध्यक्ष जिला परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- शिविर में अध्यक्ष जिला परिषद, सदस्य जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य तथा पंच को भी आमंत्रित किया जायेगा।
- ग्राम विकास शिविर के दिन संबंधित पंचायत में ग्राम सभा आयोजित की जायेगी।
- शिविर में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय सभी पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, पुलिस पदाधिकारी, बैंक पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रखण्ड स्तर के अन्य सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
- तकनीकी विभाग के कनीय अभियंता जो एक से अधिक प्रखंड के प्रभार में हैं, उनका कार्यक्रम उनके कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्धारित किया जायेगा कि वे बारी–बारी से किस शिविर में भाग लेंगे तथा वे जिलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इस आशय की सूचना देंगे।
- शिविर प्रभारी द्वारा शिविर में उपस्थित सभी पदाधिकारी की उपस्थिति/अनुपस्थिति का ब्योरा एक पंजी में संकलित किया जायेगा तथा इसकी प्रति अनुमंडल पदाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी को दी जायेगी। अनुपस्थिति का तार्किक कारण नहीं रहने पर जिला पदाधिकारी, अनुस्थित पदाधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगें ।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम विकास शिविर अप्रैल, 2013 के प्रथम सप्ताह से आयोजित किये जायेगें ।

3. शिविर का प्रबंधन

- शिविर का प्रबंधन स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- सभी कार्यालय प्रधान ग्राम विकास शिविर में स्थल पर ही प्राप्त आपत्ति आवेदनों का निष्पादन हेतु निम्नांकित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे :–
  - (i) पर्याप्त संख्या में सहायक, अनुसेवक
  - (ii) आवश्यक प्रपत्र (Form)
  - (iii) शिकायत आवेदन पंजी
  - (iv) प्रचार सामग्री

(v) आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद।

(vi) अपने विभाग के द्वारापंचायत में संचालित सभी योजनाओं का सम्पूर्ण ब्योरा।

सभी विभागीय पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा शिविर की समाप्ति के उपरान्त प्रतिवेदन प्रपत्र–1 में भरकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को देंगे, जो प्रपत्र–2 में समेकित प्रतिवेदन जिला समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी को भेजेगें ।

ग्राम विकास शिविर प्रतिवेदन प्रपत्र –1

(विभागीय पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को)

विभाग का नाम

पंचायत का नाम :–

तिथि –

क्रम सं0	विषय वस्तु	प्राप्त कुल प्राप्त मामले	कुल निष्पादित मामले	कुल अवशेष मामले	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

ग्राम विकास शिविर प्रतिवेदन प्रपत्र–2

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी को)

क्रम सं0	विभाग का नाम	प्राप्त कुल मामले	कुल निष्पादित मामले	कुल अवशेष मामले	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

- प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिला/अनुमंडल स्तर पर निष्पादित होने वाले आवेदन पत्रों को संबंधित पदाधिकारियों के पास भेजा जाय ताकि 15 दिनों के अंदर उक्त आवेदन का निष्पादन किया जा सके एवं निष्पादनोपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी उक्त व्यक्ति को संबंधित कागजात अगले शिविर में दे सकें।
- प्रत्येक काउन्टर पर समस्याओं/कार्यों का संधारण निम्न प्रपत्र में अलग–अलग पंजियों में किया जायेगा। प्रत्येक समस्या के लिए ग्रामीणों को अलग–अलग रसीद दी जायेगी जिसमें पंजी का क्रमांक एवं तिथि अंकित की जायेगी। यही क्रमांक शिकायत पत्र/आवेदन पत्र पर भी अंकित किया जायेगा।

4. अनुश्रवण

ग्राम विकास शिविर का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/निदेशक (जि०ग्रा०वि०अ०)/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड के लिए अनुश्रवण पदाधिकारी को नामित करेंगे तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि शिविर, नियमित रूप से निर्धारित समय से हो। अनुश्रवण प्रभारी भी शिविर में भाग लेकर जन समस्यायों के निष्पादन में सहयोग करेंगे।

5. प्रतिवेदन–

जिला पदाधिकारी अपने संक्षिप्त नोट के साथ मासिक प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग को प्रपत्र–3 में प्रेषित करेंगे ।

प्रपत्र–3

(जिला पदाधिकारी द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को)

क्रम सं0	प्रखण्ड का नाम	पूर्व माह तक आयोजित शिविरों की सं0	इस माह आयोजित शिविरों की सं0	पूर्व माह तक प्राप्त आवेदनों की सं0	इस माह प्राप्त आवेदनों की सं0	अद्यतन प्राप्त आवेदनों की सं0	अद्यतन निष्पादित आवेदनों की सं0	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ग्राम विकास शिविर को आम जनता की समस्याओं से अवगत होने तथा उनका त्वरित निदान करने का एक सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए । जिला पदाधिकारी नियमित रूप से शिविर आयोजित करायेंगे ताकि यह कार्यक्रम अपेक्षाओं के अनुरूप सफलता प्राप्त कर सके।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार